classmate
Date
Page

DATE: 07/09/2020

CLASS: B.A.(H) PART-2ND

SUBJECT: POLITICAL SCIENCE

PAPER: III (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS)

CH: 08 (PARLIAMENT: LOKSABHA & RAJYASABHA)

LECTURE NO. - 05 (IN SEPTEMBER)

By,
OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SC.
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

संसद सदस्यों के वेतन-भत्ते तथा पेंशन

संविधान के अनुच्छेद 106 में उल्लेख किया गया है कि 'संसद के प्रत्येक सदन के सदस्य ऐसे वेतन-भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे, जिन्हें संसद समय-समय पर निर्धारित करें।" वेतन भत्तों के अतिरिक्त इन्हें अन्य अनेक सुविधाएँ भी प्राप्त होती हैं तथा समय-समय पर इनके वेतन-भत्ते तथा सुविधाओं में वृद्धि होती रहती है।

संसद सदस्यों के लिए पेंशन और पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था की गई है।

संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते समय-समय पर यथासंशोधित संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 और उसके अन्तर्गत बनाए नियमों द्वारा शासित होते हैं।

लोकसभा और राज्यसभा का प्रत्येक सदस्य अपने पूरे कार्यकाल के दौरान 50,000/- प्रति माह का वेतन प्राप्त करने का हकदार है। किसी सदस्य का कार्यकाल निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रारंभ होता है और उस तारीख को समाप्त हो जाता है जिस दिन वह स्थान रिक्त हो जाता है।

Scanned with CamScanner

संसद सदस्यों को कर्तव्य पालन हेतु निवास के प्रत्येक दिन के लिए 2000/- रुपए (दैनिक भत्ता) मिलता है। दैनिक भत्तों का भुगतान केवल तभी किया जाएगा जब कोई सदस्य इस प्रयोजनार्थ रखे गए रजिस्टर पर हस्ताक्षर करता है।

सभी सदस्यों को 45000/- प्रति माह निर्वाचन भत्ता देने का प्रावधान है।

संसद के प्रत्येक सदस्य को कार्यालय व्यय भत्ता - 45000/- प्रति माह मिलता है। इन सब के अलावे यात्रा भत्ता और अन्य यात्रा सुविधाएँ भी इन्हें ही जाती है। टेलीफोन, आवास, बिजली-पानी, चिकित्सा सुविधा, वाहन खरीदने हेतु अग्रिम राशि, आयकर सुविधा, परिवहन सुविधा, बैंकिंग सुविधा आदि अनेक सुविधाएँ संसद के सदस्यों को उपलब्ध करायी जाती है।

'सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना' (MPLAD) के तहत प्रत्येक सांसद को पाँच करोड़ रु के विकास कार्यों के सुझाव देने का अधिकार प्राप्त है। पहले इसके लिए दो करोड़ निर्धारित थी, जिसे 2010-11 में पाँच करोड़ कर दिया गया। स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत लोकसभा सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में तथा राज्यसभा सदस्य उस राज्य के किसी एक अथवा अधिक जिलों में कार्यों की सिफारिश कर सकता है, जहाँ से वह निर्वाचित हुआ है।

लोकसभा तथा राज्यसभा के नामित सदस्य इस योजना के तहत देश के किसी भी राज्य में अपनी पसंद के एक या अधिक जिलों का चुनाव कर काम कर सकते हैं।

Scanned with CamScanner

classmate
Date
Page

'MPLAD' के तहत कोई भी परियोजना 10 लाख से अधिक की नहीं हो सकती और एक वर्ष में अधिकतम पाँच करोड़ तक की योजनाएँ सुझाई जा सकती है। इस योजना की शुरुआत 23 दिसम्बर, 1993 से की गई थी। उस समय इस सांसद निधि की राशि एक करोड़ निर्धारित थी।

सम्भावित प्रश्न:

संसद सदस्यों के वेतन-भत्ते का उल्लेख कीजिए। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना क्या है?

Scanned with CamScanner